

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त 2023—श्रावण 20, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2023

शुद्धि-पत्र

क्र. 13526-168-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 244, दिनांक 4 अगस्त 2023 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 (क्रमांक 19 सन् 2023) में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में वर्णित शब्द के स्थान पर जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आए हैं, उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्सम्बद्ध प्रविष्टि में दिए गए शब्द पढ़े जाएं:—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुए शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्तियां जिनमें वे शब्द आए हैं (2)	शुद्ध शब्द जो कि पढ़े जाएं (3)	
	पृष्ठ	पंक्ति	
(1) राष्ट्रपति	488	4	राज्यपाल
(1) President	488(1)	11	Governor

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.